समाचार-प्रकाशनार्थ:-

कोरोना टीकाकरण महाअ भयान में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए टीका लगवाया

रतलाम 21 जून । राज्य शासन द्वारा संचा लत टीकाकरण महाअ भयान का शुभारंभ 21 जून से हुआ। प्रातः 9 बजे से ही नगर के सभी वैक्सीनेशन सेंटरों पर अस्पताल का स्टाफ अपनी वैक्सीन लेकर पहंच चुके थेए उसके बाद जैसे जैसे समय बढ़ता गया एवैसे वैसे लोग अपने अपने घरों से निकलकर अपने वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे अपना वैक्सीनेशन करवाया ।

टीकाकरण महाअ भयान के तहत अ धक से अ धक लोगों का वैक्सीनेशन कार्य हो सकेए इसके लए जिला मुख्यालय पर 52 टीकाकरण केंद्र स्था पत कए गए। नगर के प्रत्येक वार्ड में स्था पत इन केन्द्रो पर युवाओए बुजुर्गो महिलाओं ने उत्साह दिखाते हुए वैक्सीनेशन कराया। शहर में कई टीकाकरण केंद्रों पर रंगीन गुब्बारोए फुलो की ल ड़यों से सुंदर सजावट की जाकर आकर्षक स्वरूप दिया गया । कई केंद्रों पर टीका लगाने आने वाले व्यक्तियों का पुष्पहारो से स्वागत कया गया । लोगों का टीकाकरण होने के बाद उन्हें लगने वाले डोज की जानकारी दी गई एवं दूसरी डोज कब लगनी है ए की भी जानकारी से अवगत कराया गया। साथ ही बुखार आने की स्थिति में पेरा सटामोल टेबलेट का वतरण भी वैक्सीनेशन सेंटर से कया गया।

रतलाम शहर के उजाला पैलेस स्थित वैक्सीनेशन सेंटर पर शहर वधायक श्री चेतन्य काश्यप ने टीकाकरण अ भयान का शुभारंभ कया। मोती नगर स्थित टीकाकरण केंद्र का कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगमए रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तमए पु लस अधीक्षक श्री गौरव तिवारी व एसडीएम श्री अ भषेक गेहलोत ने निरीक्षण कया तथा व्यवस्थाएं देखी इसके अलावा निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया व ने संत टीकाकरण केन्द्रों पर जाकर आवश्यक व्यवस्थाओं का अवलोकन कया व

टीकाकरण केन्द्रों पर सोशल डस्टें संग बनाए रखने के लए निर्दे शत कया।

टीकाकरण कराने वाले ने बताया क वैक्सीनेशन कराने के बाद हम अपने आप को सुर क्षत महसूस कर रहे है। उन्होने कहा क सरकार द्वारा निशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है ए इसके लए सरकार धन्यवाद की पात्र है। उन्होने जिलेवा सयो से भी अपील करते हुए कहा क टीकाकरण महाअ भयान 30 जून तक चलाया जा रहा है। को वड 19 से बचने के लए अ धक से अ धक संख्या में लोग टीकाकरण कराएए तभी हम परिवारए समाजए जिला एवं प्रदेश को सुर क्षत रख पायेगे।

नगर निगम ने बाढ़ नियंत्रण कक्ष व आश्रय स्थल बनाये

आपदा प्रबंधन हेतु निगम ने कये व्यापक प्रबंध

रतलाम 21 जून । अति वृष्टि के दौरान उत्पन्न होने वाली संभा वत परिस्थितियों से निपटने एवं आपदा प्रबंधन के लए निगम स्तर पर की जाने वाली व्यवस्थाओं के संबंध में निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने निगम मे व भन्न वभागों के अ धकारियों तथा कर्मचारियों को पाबंद कया है।

निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत् जीर्ण-शीर्ण भवनों को चन्हित कया जाकर भवन स्वामी को नोटिस दिये जाने तथा क्षतिग्रस्त पु लयाओं को चन्हित कर रे डयम लगाने के निर्देश के साथ जल प्लावन रोकने तथा पानी के बहाव में अवरोध उत्पन्न करने वाले नाला एवं ना लयों के अतिक्रमण चन्हित कर हटाये जाने तथा शहर के नाले ना लयों एवं वाल के चेम्बरों पर लगे ढक्कन व फर्सी इत्यादि खुली न रहे इसकी व्यवस्था कये जाने की जिम्मेदारी लोक निर्माण वभाग एवं कर्मशाला वभाग को सौंपी है।

अति वृष्टि हेतु 8 आश्रय स्थल बनाये जाकर कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है जिसके तहत् गांधीनगर कम्युनिटी हॉल पर श्री वशाल भटनागर मो0नं0 9300885504ए ईश्वर नगर वद्यालय भवन पर श्री मुकेश मेहता मो0 नं0 9629647211ए शैरानीपुरा जमातखाना पर श्री वजय अग्रवाल मो0 नं0

9907454456ए अम्बेडकर मांग लक भवन पोलोग्राउण्ड पर राजेश संह सेंगर मो0 नं0 7697052031ए अलकापुरी कम्युनिटी हॉल पर श्री प्रदीप उपाध्याय मो0 नं0 9589944748ए धीरजशाह नगर रॉयल हॉल पर श्री कुलदीप भ मो0 नं0 7471144027ए भवन निर्माण कला केन्द्र बिरियाखेड़ी पर श्री महेश व्यास मो0 नं0 9752971374 तथा श्री जैन उ.मा. वद्यालय सागोद रोड पर श्री सुनील कपूर मो0 नं0 9644000433 को नियुक्त कया गया है । आश्रय स्थलों के व्यवस्था की जिम्मेदारी उपयंत्री श्री वकास मरकाम उपयंत्री को सौंपी गई है। जो नियुक्त कये गये कर्मचारियों के सहयोग से समु चत व्यवस्था सुनिश्चित् करेंगे।

आपदा प्रबंधन के उपयोग में आने वाली आवश्यक सामग्री एवं संसाधनों का आंकलन कर उसके भण्डारण की जिम्मेदारी भण्डार रक्षक को सौंपी है साथ ही वर्षा ऋतु में शुद्ध जल की उपलब्धता एवं वतरण के लये आवश्यक रसायनों की व्यवस्था एवं उपलब्धता तथा पानी निकालने के लये पम्प आदि की व्यवस्था कये जाने की जिम्मेदारी प्रभारी कार्यपालन यंत्री जलप्रदाय को सौंपी है।

जल की समु चत निकासी एवं व्यवस्थित बहाव के लए आवश्यक व्यवस्था तथा इस हेतु पृथक से दल गठित करनाए वर्षा काल में सड़ी-गली सब्जी-फल आदि के वनिष्टीकरण की कार्रवाही एवं इस हेतु पृथक से दल गठित करना तथा नगर के व भन्न क्षेत्रो में छोटे एवं बड़े नाले-ना लयों की वर्षा पूर्व समु चत सफाई एवं जल एक स्थान पर एकत्रित न हो इसकी व्यवस्थाए सार्वजनिक शौचालयों एवं मुत्रालयों की निय मत रूप से साफ-सफाई करवाई जाकर आपदा प्रबंधन के संबंध में आवश्यक संसाधनए कीटनाशक आदि की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी प्र.स्वास्थ्य अ धकारी एवं स्वच्छता निरीक्षकों को सौंपी गई है। इसके अलावा प्रकाश हेतु टार्चए पेट्रोमेक्सए तैराक इत्यादि की व्यवस्था के भी निर्देश संबं धत को दिये है।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने आपदा प्रबंधन एवं राहत कार्य के लये नियंत्रण कक्ष जिसका दूरभाष नम्बर 07412.270563 स्था पत कर उपयंत्रियों एवं सहायक कर्मचारियों की 8.8 घन्टे की शफ्ट में ड्यूटी लगाई।

इसके अलावा नाले ना लयों की सफाईए वर्षा के जल को बड़े नालों में मलानाए वर्षा का पानी एक स्थान पर एकत्रित होने पर कच्चे नाले-ना लयों का निर्माण करनाए अतिवृष्टि स्थल पर वद्युत लाईन काटने हेतु दल गठित करनाए आपदा की स्थिति में फायर बिग्रेड दल को सुलभ रखनाए तैराक की व्यवस्था करने सहित निगम के अन्य वाहनों को कार्यशील अवस्था में रखने के निर्देश संबं धतों को दिये।

आयुष्मान कार्ड वार्डवार कॉमन सेन्टरों पर निःशुल्क बनाये जा रहे है
2105 हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाये

रतलाम 21 जून । आयुष्मान भारत ष्निरामयम’ ’ योजना अन्तर्गत रतलाम नगर के पात्र हितग्राहियों के निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य नगर निगम द्वारा 5 से 18 जून तक वार्डो के कॉमन स र्वस सेन्टरों पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशन में वार्ड वार नियुक्त अ धकारी एवं कर्मचारियों द्वारा कया जा रहा है। कार्ड बनाने का कार्य 5 जून को 67ए 6 जून को 208ए 7 जून को 155ए 9 जून को 261ए 11 जून को 164ए 12 जून को 84ए 13 जून को 112ए 14 जून को 222ए 15 जून को 284ए 16 जून को 192ए 17 जून को 57ए 18 जून को 104ए 19 जून को 90 व 21 जून को 105 हितग्राहियों के कार्ड बनाये गये इस तरह 17 दिनों में 2105 हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनवाये जा चुके है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम द्वारा आयुष्मान भारत ष्निरामयम’ ’ योजना अन्तर्गत आयुष्मान कार्ड वशेष अ भयान चलाकर योजना अन्तर्गत पात्र परिवारों का आयुष्मान कार्ड समय-सीमा में बनाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया को नोडल अ धकारी नियुक्त कया गया है।

निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा वार्डवार नगर निगम कर्मचारीए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताए कॉमन स र्वस सेन्टर के प्रोवाईडर के दलो का गठन कया है तथा कार्य के पर्यवेक्षण हेतु निगम के उपयंत्रीए उप स्वच्छता पर्यवेक्षकए आंगनवाड़ी सुपरवाईजरए को पाबंद कया गया तथा आयुष्मान

कार्ड बनाने की संपूर्ण कार्यवाही हेतु स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए.पी. संह को नोडल अ धकारी नियुक्त कया गया है।

वार्डवार गठित दलों को निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्दे शत कया है क रतलाम नगर में युद्व स्तर पर पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाये जाना है इस हेतु हितग्राही से कसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लया जावेए पात्र हितग्राहियों और उनके परिवार सदस्यों का पंजीयन कये जाने हेतु आधार कार्ड व समग्र आईडी दस्तावेज के रूप में लये जावें।

दिलीप खरे को वार्ड 9 के प्रभारी के दायित्व से हटाया

रतलाम 21 जून । वार्ड क्रमांक 9 में कचरे एवं गंदगी का ढेर पाये जाने व पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने वार्ड प्रभारी दिलीप खरे को वार्ड प्रभारी के दायित्व से हटाकर सेवा से बर्खास्त कये जाने का सूचना पत्र जारी कया।

वार्ड क्रमांक 9 के त्रिलोक नगर क्षेत्र में हनुमान मंदिर के सामने कचरे एवं गंदगी का ढेर पाये जाने व इसकी शकायत क्षेत्रिय रहवा सयों द्वारा करने पर वार्ड प्रभारी दिलीप खरे को वार्ड प्रभारी के दायित्व से हटाकर सेवा से बर्खास्त कये जाने का सूचना पत्र जारी कया गया।

खुले में गंदगी करने व कचरा पात्र नहीं रखने पर 14 व्यक्तियों पर जुर्माना

गंदगी करने वालो की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें

रतलाम 21 जून । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो क खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं उन पर लगाम लगाने हेतु स्पॉट फाईन दल द्वारा संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 18 जून को 4 दुकानदारों पर जुर्माना कया गया। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्पॉट फाईन दल द्वारा खण्डेलवाल नमकीन स्टेशन रोड पर 500ए मश्राजी नगर निगम तिराहा पर 250ए रमेश सामगरए अर्जूनए अरिहंत करानाए बाबुए मनोहर

त्रिपो लया गेटए भोलेनाथ करानाए श्यामदास कराना धामण्डीए ईश्वर संहए ताहेर अली कालेज रोडए मौर्य नमकीन सैलाना रोडए न्यू शवजी स्टेशन रोडए भरत मे डकल महू रोड पर 100.100 रूपये का स्पॉट फाईन कर भ वष्य में गंदगी ना करने की समझाईश दी।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है क षहर को गंदा करने वाले नागरिकोंए दुकानदारों आदि की जानकारी स्पॉट फाईन दल के मनोज टांक मो.नं. 7000848456ए पवन झांझोट मो.नं. 7000128812ए आकाष षन्दे मो.नं. 9424075393ए 7724981736 मनोज झांझोट मो.नं. 6268449110ए राकेष ललावत मो.नं. 7000128812 को देकर नगर को साफ-स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

962 मवे शयों को पकड़कर नगर के बाहर की गौशालाओं में भेजा

स्वच्छंद वचरण करने वाले मवे शयों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा

रतलाम 21 जून । रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानोए सड़कोए चौराहों पर स्वच्छंद वचरण करने वाले मवे शयों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य वभाग अमले द्वारा अब रात्री में भी मवे शयों को पकड़ा जायेगा क्यों क मवेशी पालको द्वारा दिन में मवे शयों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा अ भयान चलाया जा रहा है जिसके तहत 21 जून तक शहर के व भन्न क्षेत्रों से 962 मवे शयों को पकड़ा जाकर जिले की व भन्न गौशालाओं में भेजा गया। अ भयान के तहत 21 जून को अलकापुरीए नेहरू स्टे डयमए पावर हाउसरोड आदि क्षेत्रों से 6 मवेशी निगम के स्वास्थ्य वभाग अमले द्वारा पकड़ा गया।

शहर के सार्वजनिक स्थानोंए सड़को चौराहो को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलो

को अ भयान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी कया गया है। शहरी क्षेत्र में मवे शयों का पालन करना नियम वपरित हैए ऐसे मवेशी पालक जो क शहरी क्षेत्र में अनुमति के वपरित तबेले एवं बाड़ो का निर्माण कर मवे शयों का पालन कया जा रहा है वे स्वंय अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते है तो निगम द्वारा उन्हे तोड़ा जाकर रा श वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो क अपना घोड़ा या अन्य कसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोडेगा व उससे कसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पंहूचता है तो पालक पर 500 रूपये का अर्थदण्ड कये जाने का प्रावधान हैं। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद वचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड रा श रूपये 500द्ध वसूल करेगा स्वच्छंद रूप से वचरण करने वाले मवे शयों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए0पी0 संह के निर्देशन में स्वास्थ्य वभाग के अमले द्वारा की गई।

गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के वरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 21 जून । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्दे शत कया है क वे नगर के प्रत्येक घरए दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व संब धत झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त कये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्दे शत कया यदि कसी भी वार्ड में मक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संब धत कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त कये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्दे शत कया क प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्दे शत कया क दोनो पा लयों मंे वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्दे शत कया है क वे प्रतिदिन प्रमा णत करेंगे क उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के वरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 21 जून । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डो की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले-ना लयों आदि समु चत सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले-ना लयों में कचरा पाये जाने पर संबं धतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डो की समु चत साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबं धतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार/ज.सं. व./हेमन्त/21ण्06ण्2021ध्न.पा.निगमए रतलाम.